



J.C.S.S.S.S. Ltd.



Website : www.jcssss.com

E-mail : jcssssorg@yahoo.co.in

Regd.No : MSCS/CR/328/2010

Ref

date.....

शाखा प्रबंधक / प्रबंधक निरीक्षण रिपोर्ट

सेवा में

प्रसाशनिक विभाग

जेसीएसएसएसएस लि0, नई दिल्ली

बिषय :- एमएम/कलेक्शन इग्जेक्यूटिव/ ब्रांच मैनेजर/एरिया मैनेजर नियुक्ति के संबन्ध में, महाशय,

निवेदन पुर्वक कहना है कि आवेदन संख्या.....शाखा.....से ज्ञात हुआ कि नाम.....

.....पिता/पति..... वर्तमान निवासी.....

.....स्थायी निवासी.....

.....के हैं, मेरे द्वारा साक्षातकार में अनुशासन एवं सोसाईटी नियम के बिषय में बात हुई ,आवेदक समिति के अनुशासन और नियम से प्रभावित हुए साथ ही समिति नियमानुसार अनुशासन एवं नियम का पालन करने का संकल्प लिए। आवेदक सोसाईटी नियमानुकुल नए खाता धारी सदस्य तैयार कर उनका सेवा पुर्ण रूपेण करपाएंगें/करापाएंगें जिससे मैं पुर्ण संतुष्ट हूँ, आवेदक द्वारा दिए गए जरुरी कागजात पुरा है जो मेरे द्वारा जाँच किया गया है। तथा आवेदक का कार्यक्षेत्र समिति शाखा/केन्द्र से तीस किलोमीटर के अन्तर्गत रहेगा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि नामका कोड एमएम/कलेक्शन एग्जेक्यूटिवकोड के अधिन.....शाखा/केन्द्र के लिए निर्गत करने का कृपा करें। तदोपरान्त आवेदक से साक्षातकार किया जिसमें समिति से जुड़े सभी प्रपोजल एवं पारिश्रमीक अनुबंध,कमिशन/शैलरी स्लेव के सम्बन्ध में समिति नियमानुसार जानकारी मेरे द्वारा दिया गया जिससे मैं संतुष्ट हूँ एवं उन्हेंदायित्व एवं समिति कार्य तालिका छायाप्रति दिया गया जीसका प्राप्ति हस्ताक्षर संलग्न भी कर रहा हूँ।

संलग्नक :-

1. आवासिय प्रुफ

जमीन/मकान का पेपर,बिजली बिल,राशन कार्ड,टेलिफोन बिल,लाल कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक आदि

2. आईडि प्रुफ

वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट आदि

3. आवेदक का शैक्षणिक अंक प्रमान पत्र एवं आवेदन

4. शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथी हो

5. पासपोर्ट फोटो 9 पिस

6. दो जमानतदार हस्ताक्षर एवं फोटो पहचान पत्र

7. पारिवारिक जमानतदार हस्ताक्षर एवं फोटो पहचान पत्र

8. विकास पदाधिकारी अनुशंसा पत्र

9.पेन कार्ड का छाया प्रति

सभी छाया प्रति आवेदक द्वारा अभिप्रमाणित किया हुआ संलग्न है।

आपका विश्वासी

जेसीएसएसएसएसलि0

“अपना सुधार ही दुनियाँ की सबसे बड़ी सेवा है”



J.C.S.S.S.S. Ltd.



Website : www.jcssss.com

E-mail : jcssssorg@yahoo.co.in

Regd.No : MSCS/CR/328/2010

Ref

date.....

एमएम/कलेक्शन एग्जेक्यूटिव नियुक्ति अनुबंध पत्र

सेवा में,

.....

आपको अपार हर्ष के साथ सूचित करना है कि निम्न अनुबंध एवं शर्तों के अधार पर बतौर

..... आपको शाखा/सेन्टर हेतु दिनांक.....से नियुक्त किया जाता है:-

1. यह कि एमएम/कलेक्शन एग्जेक्यूटिव को नियुक्ति तिथि से 100 रु प्रतिदिन का दैनिक खाता खोलना 125 दिन तक निर्धारित लक्ष्य है जिसमें कम से कम एक माह में 2000/- दो हजार रुपया का खाता खोलना अनिवार्य होगा तदोपरान्त 10000/-रुपया फिक्स पारिश्रमीक/वेतन अथवा समिति द्वारा निर्धारित मासिक कमीशन देय होगा, जो एमएम द्वारा नियुक्ति के समय शपथ पत्र में स्वेक्षानुसार घोषित होगा।
 2. यह कि अगर कोई एमएम,कलेक्शन एग्जेक्यूटिव एक माह में 1500/- रुपया मात्र का दैनिक जमा खाता ही खोल पाते है तो उन्हें 5000/-रुपया फिक्स पारिश्रमीक/वेतन अथवा मासिक कमीशन देय हो सकेगा।
 3. यह कि जो एमएम,कलेक्शन एग्जेक्यूटिव 6 माह में 12500/-रु प्रतिदिन का दैनिक खाता खोलेंगे तो उन्हें 3000/- रु एकबार इन्सेन्टीव देय होगा।
 4. यह कि जो कलेक्शन एग्जेक्यूटिव तीन माह में 12500/-रु प्रतिदिन का खाता खोलेंगे तो उन्हें 6000/-रु एकबार इन्सेन्टीव देय होगा।
 5. यह कि जो एमएम,कलेक्शन एग्जेक्यूटिव अपने नीचे एक या पाँच कलेक्शन एग्जेक्यूटिव नियुक्ति करते है तो जूनियर के कुल मासिक कलेक्शन पर एक प्रतिशत जूनियर कमीशन प्रतिमाह देय होगा, जिसके लिए डीओ का अपना कुल मासिक कलेक्शन दो लाख रुपया दैनिक जमा से होना अनिवार्य होगा।
 6. यह कि 2,00,000/-रु से ज्यादा के जमा पर 4प्रतिशत इन्सेन्टीव देय होगा सिर्फ सैलरी वाले एमएम/कलेक्शन एग्जेक्यूटिव हेतु।
 7. यह कि टीडीएस डीडक्सन भी भारत सरकार के आयकर विभाग के नियमानुसार आपके कुल प्राप्त रेमुनेरेशन का 10 प्रतिशत कट कर आयकर विभाग में जमा होगा, यह प्रक्रिया निरंतर रहेगा।
 8. यह कि जेएलवाई डीडक्सन भी समिति नियमानुसार आपके कुल प्राप्त रेमुनेरेशन का 5 प्रतिशत कट कर आपके जे0एल0वाई0 खाता में जमा होगा यह प्रक्रिया आपके जन्म तिथि के दिए गये प्रमाण के अनुसार से 60 कि आयु सीमा तक निरंतर चलता रहेगा तदोपरान्त आपको समिति नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
- नोट:-तीन वर्ष से कम चलाए गए जेएलवाई खाता से भुगतान नहीं हो सकेगा एवं तीन वर्ष के पहले कार्य/सेवा अनियमित/छोड़ने पर समिति द्वारा एमएम कोड पर दिए गए सभी ऋण की वापसी कराना एमएम की जिम्मेदारी होगी अन्यथा भारतीय दण्डसंहिता के अनुसार सदस्यों को फँसाकर/उलझाकर छोड़देने का मामला समिति द्वारा आपके वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से आपके उपर दायर किया जाएगा।

प्रसाशनिक विभाग

स्वीकृति हस्ताक्षर

जे0सी0एस0एस0एस0एस0लि0

पंजीकृत कार्यालय

नई दिल्ली-44

एमएम/कलेक्शन एग्जेक्यूटिव

“अपना सुधार ही दुनियाँ की सबसे बड़ी सेवा है”